

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1-योजना का नाम :-	भारत सरकार की प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
2-सम्बन्धित विभाग का नाम :-	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
3-कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम :-	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
4-कार्यालय का पता :-	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 309 तृतीय तल विकास भवन मुजफ्फरनगर
5-कार्यालय का दूरभाग:-	
6-योजना के आरम्भ होने की तिथि :-	वर्ष 2009-2010
7-योजना की समाप्ति की तिथि:-	संचालित है
8-योजना का प्रकार	केन्द्रीय
9-योजना का संक्षिप्त विवरण:-	इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जिन छात्र/छात्राओं द्वारा कोई भी कक्षा 50 प्रतिशत अधिक अंकों से उत्तीर्ण की गई हो तथा अगली कक्षा में प्रवेश लिया गया हो को आगे की शिक्षा ग्रहण करने हेतु कक्षा-1 से 5 तक रू0 1000/-एवं कक्षा-6 से 10 तक स्कूल फीस के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
10-योजना के लिये अर्हता:-	इस योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं द्वारा कोई भी कक्षा 50 प्रतिशत अधिक अंकों से उत्तीर्ण की गई हो एवं उनके अभिव्यक्तियों की वार्षिक आय रू0 एक लाख से अधिक न हो छात्रवृत्ति हेतु पात्र है।
11-योजना किस वर्ग विशेष के लिये है:-	अल्पसंख्यक समुदाय
12-योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया:-	छात्र/छात्राओं द्वारा अपना आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान में जमा किया जाता है शिक्षण संस्थाएँ अपनी संस्था में अध्ययनरत समस्त पात्र छात्र/छात्राओं आवेदन पत्र शिक्षा विभाग को तथा शिक्षा विभाग द्वारा अपनी संस्तुति उपरान्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध कराये जाते हैं।
13-आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
14-आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क:-	निःशुल्क
15-आवेदन पत्र/फार्म के साथ लगने वाले आवश्यक संलग्नकों का विवरण:-	आय सम्बन्धी घोषणा पत्र/गत वर्ष के परीक्षाफल की छायाप्रति/पासबुक की छाया प्रति/फीस रसीद की छायाप्रति
16-यदि आवेदन ऑन लाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस	ऑफलाईन है
17-योजना के सम्बन्ध में जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम :-	कनिष्ठ सहायक 9319708963
18-योजना के सम्बन्ध जानकारी/धिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नं0 ई-मैल:-	9450200150
19-विभाग की वेबसाईट का एड्रेस:-	minority welfare.up.nic.in

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
मुजफ्फरनगर